वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

पॉलिथीन शीट्स के कय हेतु निविदा

बाढ़ आपदा एवं अग्निकांड से निपटने एवं बचाव कार्य के लिए वैशाली जिला में पॉलीथीन शीट्स के भंडारण की आवश्यकता के मद्देनजर विभागीय पत्रांक 3175/आ0प्र0 दिनांक 24.8.16 के आलोक में पॉलीथीन शीट्स का कय हेतु **DGS & D द्वारा** निबंधित आपूर्तिकर्ता एवं अन्य इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदादाताओं को मो0–50,000.00 (पचास हजार) रूपये अग्रधन. की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, वैशाली के नाम से विकलनीय होगा। निविदा जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, वैशाली में दिनांक 27.04.17 के अपराहन् 1.00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराहन 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

क्र0	आकार	आपूर्त्ति किये जोने वाले सामग्री का नाम	गुणवत्ता	मात्रा
पॉलीथीन शीट्स	4m x 5m	पॉलीथीन सीट्स	Low density Polyethylene फिल्म ग्रेड–030 मोटाई–250 Micron(ISI) Black sheet	10,000 (दस हजार) सीट्स

निविदा की आवश्यक शर्तें:–

1. आपूर्तिकर्त्ता को पॉलीथीन सीट्स की आपूत्ति ऊपर दिए गए विवरण के आलोक में निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर/TIN नम्बर/ अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र फर्म की अनुज्ञप्ति /अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/ काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ–पत्र मूल में संलग्न करना होगा। दो वर्षो (वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16) का वार्षिक आयकर दाखिल का प्रमाण–पत्र देना होगा। निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता अगर बिहार राज्य के हों तो उन्हें निविदा के साथ VAT निबंधन का प्रमाणपत्र एवं अद्यतन दाखिल विवरणी की छायाप्रति साक्ष्य स्वरूप संलग्न करना होगा। बिहार एवं बिहार के बाहर दोनों कोटि के आपूर्त्ति से नियमानुसार VAT की राशि की कटौती की जायेगी। तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। वित्तीय निविदा में पॉलीथीन सीट्स की दर उपरोक्त आकार एवं गुणवत्ता का प्रति क्वींटल सभी कर सहित करनी होगी।
5. आपूरित पॉलीथीन सीट्स CIPET Hajipur द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण–पत्र अलग से आपूर्तिकर्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना अपूत्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्त्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
7. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

9. निविदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन प्रशाखा, वैशाली जिला से सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट vaishali.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

10. आपूर्त्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्त्ति इस आदेश के निर्गत होने के 15(पन्द्रह) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन, प्रशाखा, वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर में करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही दण्ड राशि (Penalty) की भी कटौती की जायेगी।

11. आपूर्त्ति हेतु कोई अग्रिम अथवा अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

12. आपूर्त्ति की जानेवाली पॉलीथीन सीट्स गुणवत्ता की जाँच अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली एवं निरीक्षक, माप–तौल विभाग, वैशाली गुणवत्ता जाँच समिति के सदस्य होंगे।

13. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरांत लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

14. आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण–पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।